Prakash Industries Limited
(MINING DIVISION)
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
A/9 Shatabdi Nagar, Behind Songanga Colony,
Seepat Road, Bilaspur 495006 (C.G.)
Tele. : 98930 – 51093 Fax : 07752 – 258480/612
Email : md_bsp@prakash.com

CIN - L27109HR1980PLC010724

क्रमांक/पी.आई.एल./बिला./2022–23/ 222

दिनांक: 10.11.2022

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर,
जिला : जांजगीर–चांपा
छत्तीसगढ़

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपरण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली वनमण्डल–जांजगीर–चांपा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, वन परिक्षेत्र–चांपा की कुल 47.597 हेक्टेयर शासकीय घास भूमि के आबंटन/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने बाबत्।

संदर्भ– 1. पत्र क्रमांक पी.आई.एल./बिला./2022–23/193 दिनांक 07.10.2022

2. पत्र क्रमांक पी.आई.एल./बिला./2022–23/204 दिनांक 20.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से 150.00 हेक्टेयर शासकीय घास भूमि को वन विभाग के पक्ष में आबंटित एवं नामांतरण करने बाबत् लेख किया गया था। इस तारतम्य में वनपरिक्षेत्राधिकारी, बलौदा वन परिक्षेत्र/ उपवनमण्डलाधिकारी जांजगीर–चांपा उपवनमण्डल, चांपा के पत्र क्रमांक /2217/2022/बलौदा/दिनांक 17.10.2022 के माध्यम से लेख किया गया है कि वनपरिक्षेत्र बलौदा के ग्राम बरबसपुर खसरा क्रमांक 3/1 क एवं 3/1ख का रकबा क्रमशः 18.611 हे. एवं 18.534 हे. कुल रकबा 37.145 हेक्टेयर पूर्व से ही परसाही परिसर के कक्ष क्रमांक (पी.एफ.) 109 में समाहित है। अतः उक्त स्थान को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नहीं दिया जा सकता है। इस कारण संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से वनपरिक्षेत्र–चांपा के ग्राम पचौरी के खसरा नंबर 301/1 रकबा 14.325 हेक्टेयर एवं ग्राम मुड़पार के खसरा नंबर 401/1व4 का रकबा 23.261 हेक्टेयर कुल उपलब्ध 37.586 हेक्टेयर शासकीय घास भूमि का चयन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु लेख किया गया था। तत्पश्चात् उप वनमण्डाधिकारी जांजगीर चांपा के द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने के पश्चात् ग्राम झर्रा की आवेदित भूमि खसरा क्रमांक–12/1 रकबा–25.061 हेक्टेयर के स्थान पर 15.050 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताये जाने के कारण ग्राम मुड़पार स्थित शासकीय घास भूमि खसरा क्रमांक 401/1 रकबा–41.174 में से आवेदित रकबा–23.261 हेक्टेयर के अतिरिक्त 10.011 हेक्टेयर अर्थात कुल रकबा 33.272 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है व वनविभाग द्वारा भी उक्त भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है।

क्रमशः..2..

अतः महोदय से निवेदन है कि पूर्व में संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से आवेदित रकबा 37.586 हेक्टेयर के एवज में ग्राम– मुड़पार में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त अतिरिक्त भूमि रकबा 10.011 हेक्टेयर को समायोजित करते हुये कुल 47.597 हेक्टेयर शासकीय घास भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने हेतु वन विभाग के पक्ष में आबंटित एवं हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

सादर ...

कृते प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(ए.के.चतुर्वेदी)
निदेशक (कम्पनी मामले)

प्रतिलिपि–

श्रीमान् वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चाम्पा, वनमण्डल जांजगीर–चाम्पा की ओर उपरोक्त संदर्भित भूमि के परिपेक्ष्य में उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करवाने का अनुरोध है।

Prakash Industries Limited
(MINING DIVISION)
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
A/9 Shatabdi Nagar, Behind Songanga Colony,
Seepat Road, Bilaspur 495006 (C.G.)
Tele. : 98930 – 51093 Fax : 07752 – 258480/612
Email : md_bsp@prakash.com

CIN - L27109HR1980PLC010724

क्रमांक/पी.आई.एल./बिला./2022–23/ 193

दिनांक: 07.10.2022

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर,
जिला : जांजगीर–चांपा
छत्तीसगढ़

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली वनमण्डल–जांजगीर–चांपा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, वन परिक्षेत्र–चांपा एवं वनपरिक्षेत्र–बलौदा की कुल 150.971 हेक्टेयर शासकीय घास भूमि के आबंटन/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने बाबत्।

महोदय,

भारत सरकार कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संस्थान को कोल माईन्स (स्पेशल प्राविजन्स) एक्ट–2015 के तहत् दिनांक 04.08.2021 को E-Auction पद्धति के माध्यम से आबंटित भास्करपारा कोल ब्लॉक में कुल 932.00 हेक्टेयर भूमि समावेशित है, जिसमें 515.581 हेक्टेयर वन भूमि एवं राजस्व भूमि शामिल है। 515.581 हेक्टेयर वनभूमि में 313.775 हेक्टेयर भूमि (आल राईट) ओपन कास्ट खनन के लिए प्रस्तावित है तथा वर्तमान में उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पंजीयन उपरांत वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर, वनमण्डल सूरजपुर के कार्यालय में प्रचलन में है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत संस्थान द्वारा उपरोक्त वर्णित आल राईट क्षेत्र 313.775 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य भूमि उपलब्ध करायी जानी है।

उक्त तारतम्य में संस्थान द्वारा जांजगीर चांपा जिले के निम्नलिखित ग्रामों में उपलब्ध शासकीय घास भूमि का चयन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु किया गया है।

क्र	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	उपलब्ध भूमि (After DGPS Survey) (हेक्टेयर में)	मद/नोईयत
(अ) तहसील–चांपा, वनपरिक्षेत्र–चांपा					
1	सारागांव	141/1	10.360	24.175	शासकीय भूमि (घास)
		141/5	47.813		
2	अफरीद (अ)	1707	24.758	20.507	
3	अफरीद (ब)	405/1	21.613	19.774	
4	झर्रा	12/1	29.836	25.061	
5	कमरीद	620/1	41.578	34.801	
		योग (अ)	175.958	124.318	
(ब) तहसील–अकलतरा, वनपरिक्षेत्र–बलौदा					
1	बरबसपुर	3/1क	18.611	26.653	शासकीय भूमि (घास)
		3/1ख	18.534		
		योग (ब)	37.145	26.653	
	कुल योग (अ)+(ब)		213.103	150.971	

क्रमशः..2..

संस्थान द्वारा अपने पत्र क्रमांक पी.आई.एल./बिला./2022–23/164 दिनांक 12.09.2022 के माध्यम से उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु श्रीमान् वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा को लेख किया गया है साथ ही वन विभाग के साथ उक्त प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि का DGPS सर्वे करवाकर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि की विस्तृत DGPS Report तैयार की गयी है। सर्वे रिपोर्ट की प्रति तथा खसरा, बी–1 एवं मिसल की प्रति महोदय के सुलभ संदर्भ हेतु संलग्नित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित ग्रामों की 150.971 हेक्टेयर शासकीय घास भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में आबंटित करने का कष्ट करें।

सादर ...

कृते प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(ए.के. चतुर्वेदी)

निदेशक (कम्पनी मामले)

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक / 684 / भू.अ. / वन.अधि. / 2022 जांजगीर दिनांक 11 / 10 / 2022

प्रति,

1. अ0वि0अ0 (रा0)
   जांजगीर / चांपा
   जिला–जांजगीर–चांपा (छ0ग0)
2. वन मण्डलाधिकारी, चांपा
   जिला–जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली वनमण्डल–जांजगीर–चांपा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, वन परिक्षेत्र–चांपा एवं वनपरिक्षेत्र बलौदा की कुल 150.971 हे0 शासकीय घास भूमि के आबंटन / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने बावत्।

संदर्भः– प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्रमांक / पी.आई.एल. / बिला. / 2022–23 / 193 दिनांक 07.10.2022

—000—

विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र अनुसार संस्थान द्वारा तहसील चांपा वन परिक्षेत्र चांपा अंतर्गत ग्राम सारागांव, अफरीद (अ), अफरीद (ब), झर्रा, कमरीद स्थित शासकीय भूमि (घास) में से उपलब्ध भूमि 124.318 हे0 तथा तहसील अकलतरा वनपरिक्षेत्र बलौदा अंतर्गत ग्राम बरबसपुर स्थित शासकीय भूमि (घास) में से उपलब्ध भूमि 26.653 हे0 कुल 150.971 हे0 को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयन किये जाने से, उपरोक्त भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में आबंटित करने हेतु पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। संदर्भित पत्र मूलतः आवश्यक जांच की कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है। आवेदित भूमि के संबंध में जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अपर कलेक्टर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

पृ.क. / 685 / भू.अ. / वन.अधि. / 2022 जांजगीर दिनांक 11 / 10 / 2022

प्रतिलिपिः–

निदेशक (कंपनी मामले), प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड(माइनिंग डिविजन)ए / 9 शताब्दी नगर, सोनगंगा कॉलोनी, सीपत रोड, बिलासपुर (छ0ग0)

अपर कलेक्टर 11.10.22
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
क्रमांक
दिनांक 11/10/2022
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

कार्यालय प.ह.न. 11, रा.नि.मं./तहसील - सारागाँव, जिला-जांजगीर-चांपा

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदया
तहसील - सारागांव

विषय- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि के आबंटन संबंधी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत

संदर्भ - न्या-तह. सारागाँव के ज्ञापन क्र/764/तह./वा./2022

महोदया,

विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम धर्री प-ह-न.11, तहसील सारागाँव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि को आबंटन संबंध जांच निम्नानुसार है -

(1) वर्तमान अभिलेख के अनुसार ख.न. 12/1 रकबा 29.634 है शासकीय भूमि (घास) मद में दर्ज है।

(2) भूमि वर्तमान में 15.050 हे. रिक्त है।

(3) वर्णित भूमि 12/1 में 5 एकड़ गौठान, 5 एकड़ चारागाह, कुछ भूमि लगभग 5 एकड़ जलाशय के लिए प्रस्तावित है, शेष भूमि 29.634 हे में से 15.050 हे- रिक्त है।

(4) ख.न. 12/1 मे अतिक्रमण नही है।

अस्तु प्रतिवेदन महोदया के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

दिनांक 17/11/2022

17/11/2022
पटवारी
प.ह.न. 11
तहसील - सारागांव
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्रति

श्रीमान तहसीलदार सारागांव

जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली वनमंडल जांजगीर-चांपा, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा वन क्षेत्र: चांपा के 150.971 हे० शासकीय घास भूमि के आबंटन / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने बाबत्

संदर्भ :- कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के क्र0/884/भू0अ0/वन अधि0/2022 जांजगीर दिनांक 11/10/2022 एवं आपके न्यायालय के पत्र क्र0/789/तह0/वा0/2022 सारागांव दिनांक 2/11/2022 के परिपालन ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार लेख है कि तहसील-सारागांव अंतर्गत ग्राम-मुड़पार, प0ह0नं0-02 रा0नि0मं0 एवं तह0-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित शासकीय भूमि (घास) ख0नं0 401/1 रकबा 41.174 में से उपलब्ध भूमि 33.272 हे0 को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में आबंटित किये जाने बाबत् पत्र प्राप्त हुआ है।

आवेदित भूमि के संबंध में बिंदुवार जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम	ख0नं0	रकबा (हे0में)	मद	वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध	कैफियत
1.	मुड़पार	401/1	41.174	घास	33.272	

(1) वर्तमान अभिलेख अनुसार आवेदित भूमि ख0नं0 401/1 कुल रकबा 41.174 हे0 घास मद में दर्ज है तथा 33.272 हे0 भूमि उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में आवेदित भूमि ख0नं0 401/1 रकबा 33.272 हे0 रिक्त है-

क्रमशः

(3) आवेदित भूमि अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित / आरक्षित नहीं

(4) आवेदित भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

अस्तु प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित

7/11/2022

लेखपाल

प.ह.नं. 2

ग्राम मुड़घाट

कार्यालय प.ह.न. 11, रा.नि.मं. / तहसील - सारागाँव

प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील - सारागाँव

विषय - क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध भूमि के आबंटन के जांच प्रस्तुत करने बाबत

संदर्भ :- कार्यालय कलेक्टर (भू अभिलेख) के ज्ञापन क्र./712/भू.अ./वन अधि/2022

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पचोरी, प.ह.न.11, रा.नि.मं./तहसील - सारागाँव में ख.नं. 301/1 शासकीय भूमि (घास) मद में दर्ज है जिसका वर्तमान अभिलेख के अनुसार रकबा 36.692 हे. है जिसमें जांच निम्नानुसार है -

(1) वर्तमान अभिलेख के अनुसार उक्त भूमि घास मद (शासकीय) में दर्ज है जिसका कुल रकबा 36.692 हे. है।

(2) उक्त भूमि वर्तमान में रिक्त है।

(3) वर्णित भूमि 5 एकड़ गौठान एवं 5 एकड़ चारागाह के लिए आबंटित है

(4) वर्णित भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है, अतिक्रमण करके घर व बाड़ी बनाया गया है कुल ख.न. 301/1, रकबा 36.692 हे. में से 14.325 हे. रिक्त है।

अस्तु प्रतिवेदन महोदय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

दिनांक 04/11/2022

04/11/2022
प्रकाश राठौर
प.ह.न.... 11
तहसील - सारागाँव
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

कार्यालय प.ह.न. 11, तहसील / रा.नि.मं. - सारागाँव

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदया

तहसील - सारागाँव

विषय: क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि के आबंटन संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्

संदर्भ - न्या. तह. सारागाँव के ज्ञापन क्र./764/तह./वा./2022

महोदया,

विषयांतर्गत लेख ग्राम सर्रा, प.ह.न. 11, तहसील सारागाँव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि के आबंटन संबंधी बिंदुवार जाँच निम्नानुसार है -

(1) वर्तमान अभिलेख के अनुसार ख.न. 121, रकबा 29.634 हे. शासकीय भूमि (घास) में दर्ज है।

(2) भूमि वर्तमान में 25.061 हे. रिक्त है।

(3) वर्णित भूमि 121 में 5 एकड़ गोठान और 5 एकड़ चारागाह के लिए आबंटित है शेष भूमि 25.061 हे. रिक्त है।

(4) ख.न.121 में अतिक्रमण नहीं है।

अस्तु प्रतिवेदन महोदया के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

[signature] .../11/2022

प्रकाश राठौर

प. ह. नं.........

तहसील-सारागांव

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार सारागांव

जिला - जांजगीर - चांपा (छ.ग.)

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित ग्राम - अफरीद में उपलब्ध शासकीय घास भूमि के संबंध में जानकारी बाबत्।

संदर्भ:- आपके कार्यालय के ज्ञापन क्रं./769/तह./का./2022 सारागांव दिनांक 14/10/2022 और कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला - जांजगीर - चांपा (छ.ग.) के पत्र क्रं./654/भू०अ०/वन अधि०/2022 जांजगीर दिनांक 11/10/2022।

विषयांतर्गत संदर्भित लेख है कि तहसील - सारागांव अन्तर्गत ग्राम - अफरीद, प.ह.नं. - 02, रा.नि.मं. एवं तह. - सारागांव, जिला - जांजगीर - चांपा स्थित शासकीय घास भूमि 405/1, 1707/1 रकबा क्रमशः 20.829 एवं 25.765 हे० को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में आवंटित करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदित भूमि के संबंध में बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

क्र०	ग्राम	ख०नं०	रकबा (हे० में)	मद	वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध रकबा (हे० में)	कैफियत
1.	अफरीद	405/1	20.829	घास	17.774	
2.	अफरीद	1707/1	25.765	घास	20.560	

1. वर्तमान अभिलेख के अनुसार आवेदित भूमि ख०नं० 405/1, 1707/1 रकबा क्रमशः 20.829 एवं 25.765 हे० घास मद की है।
2. वर्तमान में आवेदित भूमि ख०नं० 405/1 में तालाब और ख०नं० 1707/1 में गोठान, गोंचार, नहर बना है। शेष भूमि रिक्त है।
3. आवेदित भूमि अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित नहीं है।
4. आवेदित भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

अस्तु प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर समप्रेषित है।

[signature] 2022

पटवारी

अनुराजन एक्का

प.ह.नं. 2

ग्राम अफरीद

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार सारागांव

जिला- जांजगीर- चांपा (छ.ग.)

<u>विषय</u> :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित ग्राम - कमरीद में उपलब्ध शासकीय घास भूमि के संबंध में जानकारी बाबत्।

<u>संदर्भ</u> :- आपके न्यायालय के ज्ञापन क्र. / 769 / तह० / वा० / 2022 सारागांव दिनांक 14/10/2022 और कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला- जांजगीर- चांपा (छ.ग.) के पत्र क्र. / 684 / भू० अ० / व.सं० अधि० / 2022 जांजगीर दिनांक 11/10/2022।

विषयांतर्गत संदर्भित लेख है कि तहसील- सारागांव अंतर्गत ग्राम- कमरीद, प० ह० नं० - 01, रा० नि० मं० एवं तह० सारागांव जिला- जांजगीर- चांपा स्थित शासकीय घास भूमि ख० नं० 620/1 रकबा 41.578 हे० को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में आवंटित करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदित भूमि के संबंध में बिंदुवार जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र०	ग्राम	ख० नं०	रकबा (हे० में)	मद	वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध रकबा (हे० में)	कैफियत
1	कमरीद	620/1	41.578	घास	34.801	

1. वर्तमान अभिलेख के अनुसार आवेदित भूमि घास मद एवं कुल रकबा 41.578 हे० है।
2. वर्तमान में उक्त भूमि पर गोठान, गौचर, स्टेडियम, N.H. का मटेरियल डाई (अस्थायी) बना है। शेष भूमि रिक्त है।
3. आवेदित भूमि किसी अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित नहीं है।
4. आवेदित भूमि अतिक्रमण नहीं है।

अस्तु प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 2022

पटवारी

अनुरंजन एक्का

प.ह.नं. 01

ग्राम कमरीद

अनुलग्न प.क्र. 03

मुख्यालय - सारागांव

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार
तहसील - सारागांव

विषय : वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सारागांव स्थित भूमि ख.नं. 141/ख एवं 141/5 रकबा ~~58.813~~ 58.236 हेक्टेयर जो वर्तमान में राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि घास मद में दर्ज है उक्त ख.नं. 141/ख में 24.175 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है इस संबंध बिन्दुवार जानकारी निम्न है :

(1) वर्तमान राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि घास मद में दर्ज है निस्तार पत्रक में चराई मद है

(2) भूमि वर्तमान में रिक्त स्थल है

(3) वर्तमान में अन्य प्रयोजन के लिए भूमि ~~आबंटित~~ आबंटित नहीं है

(4) वर्तमान में आबंटित भूमि पर अतिक्रमण नहीं है [illegible] भूमि [illegible] हेतु [illegible] संबंधित

संलग्न पत्र : (1) मिसल एवं निस्तार पत्रक की छायाप्रति.
(2) खसरा की छायाप्रति 141/ख

10/10/2012

N.K. PATEL
PC No. 13 Teh.-Saragaon
Dist: Janjgir-Champa (C.G.)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक / 736 / भू.अ. / वन.अधि. / 2022 जांजगीर दिनांक 15 / 11 / 2022

प्रति,

1 अ0वि0अ0 (रा0)
चांपा
जिला–जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

2 वन मण्डलाधिकारी, चांपा
जिला–जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली वनमण्डल–जांजगीर–चांपा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, वन परिक्षेत्र–चांपा की कुल 47.597 हे0 शासकीय घास भूमि के आबंटन / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करने बावत्।

संदर्भः–
1. कलेक्टर महोदय जिला जांजगीर–चांपा का टी.एल. क्रमांक 6612 दिनांक 11.10.2022
2. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्र. / पी.आई.एल. / बिला. / 2022–23 / 193 दिनांक 07.10.2022
3. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्रमांक / पी.आई.एल. / बिला. / 2022–23 / 204 दिनांक 20.10.2022
4. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्रमांक / पी.आई.एल. / बिला. / 2022–23 / 222 दिनांक 10.11.2022

---000---

विषयांतर्गत, इस कार्यालय का ज्ञापन क्र. /712 / भू.अ. / वन अधि. / 2022 जांजगीर दिनांक 02.11.2022 अनुसार वन परिक्षेत्र चांपा तहसील सारागांव अंतर्गत ग्राम पचौरी स्थित भूमि ख.नं. 301 / 1 में से रकबा 14.325 हे. एवं ग्राम मुड़पार स्थित भूमि ख.नं. 401 / 1 में से रकबा 23.261 हे. कुल उपलब्ध रकबा 37.586 हे. शासकीय घास भूमि का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के संबंध में जांच हेतु पत्र आपकी ओर प्रेषित किया गया है । पुनः संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र.–4 अनुसार, उपमण्डलाधिकारी जांजगीर–चांपा द्वारा स्थल निरीक्षण में ग्राम झर्रा की आवेदित भूमि ख.नं. 12 / 1 रकबा 25.061 हे. के स्थान पर 15.050 हे. भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त बताया जाना उल्लेखित किया जाकर, ग्राम मुड़पार स्थित भूमि ख.नं. 401 / 1 रकबा 41.174 हे. में से आवेदित रकबा 23.261 हे. के अतिरिक्त रकबा 10.011 हे. भूमि को समायोजित करतें हुये कुल 33.272 हे. भूमि वन विभाग के पक्ष में आबंटित एवं हस्तांतरित करने की मांग की गई है ।

अतः उपरोक्त संबंध में पुनः जांच की कार्यवाही हेतु पत्र आपकी ओर प्रेषित है । तद्संबंध में जांच की कार्यवाही कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त कलेक्टर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी ... दिनांक 15/11/22 ... जिला-जांजगीर-चांपा

वनमण्डल अधिकारी ... 15/11/22 ... चांपा

पृ.क्र./737/भू.अ./वन.अधि./2022 जांजगीर दिनांक 18/11/2022

प्रतिलिपिः—

निदेशक (कंपनी मामले), प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड(माइनिंग डिविजन)ए/9 शताब्दी नगर, सोनगंगा कॉलोनी, सीपत रोड, बिलासपुर (छ0ग0)

संयुक्त कलेक्टर

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)